



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0 -35/2018-1004

दिनांक : 3/8/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार पौधों का वृक्षारोपण एवं काष्ठ प्रजाति का वृक्षारोपण का धेरान कार्य के साथ (ट्रेंच/झाड़ी) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) हेतु **297.691 (दो करोड़ सन्तानबे लाख उनहत्तर हजार एक सौ) ₹0 मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।**

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-25/2018-03/स्वी0 व0प0 दिनांक 02.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0 बजट-25/2018-49/आ0 व0प0 दिनांक 03.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल **₹0 297.691 (दो करोड़ सन्तानबे लाख उनहत्तर हजार एक सौ) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-**

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	146.188
2	आपूर्ति एवं सामग्री	151.503
	कुल योग :-	297.691

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस राशि से राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया एवं प्रजातियों के अनुसार अपनी निजी भूमि पर करवाए गए (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रेखिक वनरोपण) वृक्षारोपण पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा।
3. प्रमंडलवार उप-आवंटित की जा रही राशि की एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी **अनुलग्नक-1** एवं **2** पर पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देय प्रोत्साहन राशि के लिए विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या-04/यो0बजट-79/2015/2005 दिनांक-14.05.2018 की कंडिका-6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा (**अनुलग्नक-5**)।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।
8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-35/2018-1004 दिनांक- 3/8/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग एवं पलामू/संथाल परगना, दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/मेदिनीनगर, पलामू/बोकारो/हजारीबाग/दुमका/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/मेदिनीनगर/बोकारो/गिरिडीह/चतरा/दुमका/जमशेदपुर एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-35/2018-1004 दिनांक- 3/8/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची/खूँटी/सिमडेगा/चाईबासा/जमशेदपुर/लातेहार/गढ़वा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/रामगढ़/चतरा/कोडरमा/देवघर/गोड्डा/दुमका/सरायकेला/पाकुड़/साहेबगंज/बोकारो/धनबाद/लोहरदगा/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली मुख्यमंत्री जन वन योजना अंतर्गत कृषकों के निजी भूमि पर फलदार प्रजाति के पौधों का रोपण हेतु राशि का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			8273.6	7200	15473.6
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, रॉची	35	2.896	2.520	5.416
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	5	0.414	0.360	0.774
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	40	3.309	2.880	6.189
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	40	3.309	2.880	6.189
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	80	6.619	5.760	12.379
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	65	5.378	4.680	10.058
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	100	8.273	7.200	15.473
8	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	105	8.687	7.560	16.247
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	20	1.655	1.440	3.095
10	रामगढ़ वन प्रमण्डल	35	2.896	2.520	5.416
11	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	15	1.241	1.080	2.321
12	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	20	1.655	1.440	3.095
13	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	20	1.654	1.440	3.094
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	35	2.896	2.520	5.416
15	गोडा वन प्रमण्डल	50	4.137	3.600	7.737
16	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	40	3.309	2.880	6.189
17	सरायकेला वन प्रमण्डल	35	2.896	2.520	5.416
18	पाकुड़ वन प्रमण्डल	60	4.964	4.320	9.284
19	साहेबगंज वन प्रमण्डल	60	4.964	4.320	9.284
20	बोकारो वन प्रमण्डल	15	1.241	1.080	2.321
21	धनबाद वन प्रमण्डल	30	2.482	2.160	4.642
22	लोहरदगा वन प्रमण्डल	10	0.827	0.720	1.547
23	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	20	1.655	1.440	3.095
24	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	15	1.241	1.080	2.321
कुल :-		950	78.598	68.400	146.998

प्रधान, मुख्य वन अधिकारी, विकास
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली मुख्यमंत्री जन वन योजना अंतर्गत कृषकों के निजी भूमि पर काष्ट प्रजाति के पौधों का रोपण हेतु राशि का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			5429	6675	12104
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, रौंछी	40	2.171	2.670	4.841
2	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	10	0.543	0.667	1.210
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	69	3.746	4.606	8.352
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	55	2.986	3.671	6.657
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	100	5.429	6.675	12.104
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	80	4.343	5.340	9.683
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	150	8.143	10.013	18.156
8	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	100	5.429	6.675	12.104
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	27	1.466	1.802	3.268
10	रामगढ़ वन प्रमण्डल	47	2.552	3.137	5.689
11	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	20	1.086	1.335	2.421
12	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	27	1.466	1.802	3.268
13	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	30	1.628	2.003	3.631
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	40	2.172	2.670	4.842
15	गोडा वन प्रमण्डल	74	4.017	4.940	8.957
16	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	46	2.497	3.070	5.567
17	सरायकेला वन प्रमण्डल	40	2.172	2.670	4.842
18	पाकुड़ वन प्रमण्डल	80	4.343	5.340	9.683
19	साहेबगंज वन प्रमण्डल	90	4.886	6.007	10.893
20	बोकारो वन प्रमण्डल	15	0.814	1.001	1.815
21	धनबाद वन प्रमण्डल	40	2.172	2.670	4.842
22	लोहरदगा वन प्रमण्डल	10	0.543	0.668	1.211
23	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	35	1.900	2.336	4.236
24	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	20	1.086	1.335	2.421
कुल :-		1245	67.590	83.103	150.693

प्रधान मुख्य वन सहायक विकास
झारखण्ड, राँची।



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

अनुक्रम-3

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-17

दिनांक 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. x 5 मी.

प्रजातियाँ:- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38 रु0 प्रति मानव दिवस							
1	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	6171.88	0.00	6171.88	28.93	

2	पौधों का क्रय @60 रु0 प्रति पौधा (परिवहन सहित) @160 पौधे प्रति एकड़ (5% अतिरिक्त पौधे का क्रय किया जाएगा)	एकड़	0.00	0.00	9600.00	9600.00	45.00	पौधे विमागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 45.00 रु0 प्रति पौधा या वास्तविक दर जो कम हो की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	24	5697.12	0.00	5697.12	26.71	
4	दो कोडनी एवं निकौनी	एकड़	4.00	949.52	0.00	949.52	4.45	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
	योग		54.00	12818.52	11200.00	24018.52	112.59	
ख	वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 273 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोडनी-निकौनी	एकड़	4.00	1092.00	0.00	1092.00	5.12	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3	पानी पटवन		0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1092.00	2400.00	3492.00	16.37	
ग	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 313 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोडनी-निकौनी	एकड़	4.00	1252.00	0.00	1252.00	5.87	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	

3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मत @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	939.00	0.00	939.00	4.40	
	योग		7.0	2191.00	2400.00	4591.00	21.52	
	सकल योग		65.0	16101.52	16000.00	32101.52	150.48	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-10/2014-615

दिनांक- 24/05/18

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-18 दिनांक 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (काष्ठ प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (काष्ठ प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)
स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. एवं मेड के प्रजातियाँ-शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि
किनारे 2 मी0 x 2 मी0

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	लामुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 237.38 रु0 प्रति मानव दिवस							
1	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 445 पीट प्रति एकड़ (संरेखन सहित)	एकड़	10.00	2373.80	0.00	2373.80	4.00	

(273)

2	पौधों का क्रय @20 रु० प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	15.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 15.00 रु० प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2373.80	0.00	2373.80	4.00	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	11.00	2611.18	0.00	2611.18	4.40	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	1.18	
	योग		31.00	7358.78	9600.00	16958.78	28.58	
ख	वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 273 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1638.00	0.00	1638.00	2.76	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		6.00	1638.00	4800.45	6438.45	10.85	
ग	वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 313 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1878.00	0.00	1878.00	3.17	

2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	939.00	0.00	939.00	1.58	
	योग		9.00	2817.00	4800.45	7617.45	12.84	
	सकल योग		46.00	11813.78	19200.90	31014.68	52.27	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

झापांक-01/यो0ब0-10/2014-616

दिनांक-24/5/18

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in Phone & Fax No. 0651-2481813



कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-19 दिनांक 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/ यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (घेरान) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (घेरान) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़	445 पौधो (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण) 160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में)	237.38 प्रति मानव दिवस
फलदार प्राजाति हेतु स्पेसिंग 5मी0 x 5मी0	फलदार प्रजातियाँ— कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची, आदि
काष्ठ प्राजाति हेतु स्पेसिंग 3मी0 x 3मी0 एवं मेड के किनारे 2 मी0 x 2 मी0	काष्ठ प्रजातियाँ— शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय राशि	
							काष्ट प्रजाति	फलदार प्रजाति
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)							
1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाम घटाकर दर) प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन	2.5 चेन प्रति एकड़	5.00	1186.90	4909.48	6096.38	10.27	28.58
2	झाड़ी घेरान (2.5 X 6 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	15.00	3560.70	62.50	3623.20	6.11	16.98
3	पत्थर घेरान (2.5 X 25 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	62.50	14836.25	0.00	14836.25	25.00	69.54

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-10/2014-617
प्रतिलिपि :

दिनांक-24/5/18

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्यद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्चिस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची






आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-35/2018/1004

दिनांक - 03-Aug-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46615	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	506,700.00 रुपये पाँच लाख छः हजार सात सौ 
2	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46616	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	95,700.00 रुपये पिनचानवे हजार सात सौ 
3	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46617	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	705,500.00 रुपये सात लाख पाँच हजार पाँच सौ 

योग: 1,307,900.00

योग:

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख सात हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, BACHHARWAN, RANCHI

क्र.सं.	विपत्र कोड	एकसेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46619	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	629,500.00 रुपये छः लाख उत्तीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46620	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	1,204,800.00 रुपये बारह लाख चार हजार आठ सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46621	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	972,100.00 रुपये नौ लाख बहत्तर हजार एक सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

2,806,400.00

क्रमिक योग:

रुपये इकतालीस लाख चौदह हजार तीन सौ

4,114,300.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DIVISIONAL OFFICE, JALANDHAR

क्र	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
7	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46622	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,641,600.00 रुपये सोलह लाख इकतालीस हजार सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46623	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV.	1,411,600.00 रुपये चौदह लाख ग्यारह हजार छः सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46624	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	312,100.00 रुपये तीन लाख बारह हजार एक सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

3,365,300.00

क्रमिक योग:

रुपये चौहत्तर लाख उन्नासी हजार छः सौ

7,479,600.00


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DIBADHANG (RANCHI)

क्र.सं.	विपत्र कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
10	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46625	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	544,800.00 रुपये पाँच लाख चवातीस हजार आठ सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46626	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	232,700.00 रुपये दो लाख बत्तीस हजार सात सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46627	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	312,100.00 रुपये तीन लाख बारह हजार एक सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

1,089,600.00

क्रमिक योग:

रुपये पचियासी लाख उनहत्तर हजार दो सौ

8,569,200.00



SHRI SATNAM SINGH

POCF DIVISIONAL OFFICER

क्र	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46628	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	328,200.00 रुपये तीन लाख अठाइस हजार दो सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46629	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV. DGR	506,800.00 रुपये पोंच लाख छः हजार आठ सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46630	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	815,400.00 रुपये आठ लाख पंद्रह हजार चार सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

1,650,400.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड दो लाख उन्नीस हजार छः सौ

10,219,600.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCOF, DEMOHARMAHANS, RANCHI

क्र	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46631	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	580,600.00 रुपये पाँच लाख अस्सी हजार छः सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
17	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46633	SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	506,800.00 रुपये पाँच लाख छः हजार आठ सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
18	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46634	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	930,700.00 रुपये नौ लाख तीस हजार सात सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

2,018,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बाइस लाख सैतीस हजार सात सौ

12,237,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEBADHARMAWANSI RANCHI

क्र.सं.	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
19	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46635	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	985,000.00 रुपये नौ लाख पचासी हजार
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46636	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O. BOKARO	205,500.00 रुपये दो लाख पाँच हजार पाँच सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
21	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46637	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	465,400.00 रुपये चार लाख पैंसठ हजार चार सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			


योग:

1,655,900.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अडतीस लाख तिरनावे हजार छः सौ

13,893,600.00


(SHRI SATNAM SINGH)
POCF DEWPHARMAIES(RANCHI)

क्र	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46638	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	137,000.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
23	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46639	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR DIV.	355,500.00 रुपये तीन लाख पचपन हजार पॉच सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
24	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	46641	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR DIV.	232,700.00 रुपये दो लाख बत्तीस हजार सात सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

725,200.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छयालीस लाख अठारह हजार आठ सौ

14,618,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF D. BACHHAWATI RANCHI

क्र	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46671	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	519,000.00 रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार
26	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46672	RNCFORK01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	102,700.00 रुपये एक लाख दो हजार सात सौ
27	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46673	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	748,600.00 रुपये सात लाख अड़तालीस हजार छः सौ

योग:

1,370,300.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड उनसठ लाख नवासी हजार एक सौ

15,989,100.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF DEBADMANGAL(RANCHI)

क्र	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46674	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O. SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	655,100.00 रुपये छः लाख पचपन हजार एक सौ
29	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46675	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	1,243,500.00 रुपये बारह लाख तीरयालीस हजार पंच सौ
30	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46676	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	1,002,000.00 रुपये दस लाख दो हजार

योग:

2,900,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड अठयासी लाख नवासी हजार सात सौ

18,889,700.00

PCCF, DINA NAGAR (RANCHI)

क्र	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46677	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,721,300.00 रुपये सत्रह लाख इय्यासी हजार तीन सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
32	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46678	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. MEDININAGAR, OREST.DIV.	1,423,500.00 रुपये चौदह लाख तेइस हजार पैंच सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
33	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46679	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	324,200.00 रुपये तीन लाख चौइस हजार दो सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

3,469,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड तेइस लाख अठ्ठावन हजार सात सौ

22,358,700.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (HARIDWAR) RANCHI

क्र	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46680	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	565,700.00 रुपये पाँच लाख पैंसठ हजार सात सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
35	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46681	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	241,500.00 रुपये दो लाख इकतालीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
36	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46682	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	324,200.00 रुपये तीन लाख चौदस हजार दो सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

1,131,400.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड चौतीस लाख नब्बे हजार एक सौ

23,490,100.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCOF, DEADHARWANS/RANCHI

क्र	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46684	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	344,300.00 रुपये तीन लाख चवालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
38	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46685	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	519,000.00 रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
39	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	46687	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	854,000.00 रुपये आठ लाख चौपन हजार
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग:

1,717,300.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड बावन लाख सात हजार चार सौ

25,207,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.BACHAWAN (S.F.) RANCHI

विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
40	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46688 DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	595,000.00 रुपये पाँच लाख पिनचानवे हजार
41	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46689 SKLFOR001 SABA ALAM ANSARI D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	519,000.00 रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार
42	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46691 PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	966,000.00 रुपये नौ लाख छाछठ हजार

योग:

2,080,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड चहत्तर लाख सित्तासी हजार चार सौ

27,287,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEBHWARI, JALPAIGURI

क्र	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
43	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46693	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	1,032,700.00 रुपये दस लाख बत्तीस हजार सात सौ
44	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46694	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O. BOKARO	208,100.00 रुपये दो लाख आठ हजार एक सौ
45	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46696	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	483,000.00 रुपये चार लाख तिरयासी हजार

योग:

1,723,800.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड नब्बे लाख ग्यारह हजार दो सौ

29,011,200.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DINDHARWAL (RANCHI)

विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
46	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46697 LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	138,800.00 रुपये एक लाख अठ्तीस हजार आठ सौ
47	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46699 GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR DIV.	377,600.00 रुपये तीन लाख सित्थोत्तर हजार छः सौ
48	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	46700 GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	241,500.00 रुपये दो लाख इकतालीस हजार पौंच सौ

योग:

757,900.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड सित्तानवे लाख उनहत्तर हजार एक सौ

29,769,100.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF DEBODHAKHANA STRANCHI

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा घोषित "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु अधिसूचित मार्ग-निर्देशिका में संशोधन के संबंध में।

"मुख्यमंत्री जन वन योजना" झारखण्ड राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने एवं राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम किये जाने के लिए बनाई गई योजना है। पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या-5965, दिनांक-27.11.2015 द्वारा "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका निर्गत है।

2. "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन में आ रही कतिपय बाधाओं को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके निराकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत मार्ग-निर्देशिका में संशोधन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

3. एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री जन वन योजना" के कार्यान्वयन हेतु संशोधित संलग्न मार्ग-निर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संकल्प निर्गत की तिथि के उपरांत योजना का कार्यान्वयन संलग्न संशोधित मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप ही किया जाएगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वनाथ राजन,

(इन्दु शीखर चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक -4/यो0 बजट-79/2015 2005

दिनांक-14.05.2018

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सूचनार्थ प्रेषित। संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को परिचारित करते हुए 100 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक -4/यो0 बजट-79/2015 2005

दिनांक-14.05.2018

प्रतिलिपि:- सानुलग्नक महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

"मुख्यमंत्री जन वन योजना"

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

(संशोधित मार्ग निर्देशिका)

झारखण्ड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वन अछादित क्षेत्र को बढ़ाया जाना आवश्यक है। राज्य में वन अछादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में "मुख्यमंत्री जन वन योजना" लागू की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर-रैखिक वनरोपण) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन-स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख-रखाव पर हुए व्यय के 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

2. योजना के उद्देश्य

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- 2.1 प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना।
- 2.2 वृक्षारोपण के माध्यम से भू-जल संरक्षण करना।
- 2.3 निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना।
- 2.4 किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना।
- 2.5 राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना।

3. योजना के घटक

योजना के घटक निम्नलिखित हैं:-

- 3.1 इस योजना के अन्तर्गत ब्लॉक वृक्षारोपण (Block Plantation) एवं खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण (रैखिक) किया जा सकेगा।
- 3.2 कार्य विवरणी-योजना का कार्यान्वयन तीन वर्षों में सम्पन्न होगा, जिसमें वर्षवार लाभुक द्वारा वृक्षारोपण संबंधी निम्न कार्य अपने खर्चे पर संपादित किये जायेंगे :-
 - (क) प्रथम वर्ष -गढढा खुदाई, सुरक्षा घेरान बनाना, पौधा रोपण, दो कोड़नी निकौनी, उर्वरक/जैविक खाद/कीटनाशक देना, पटवन एवं सुरक्षा आदि।
 - (ख) द्वितीय वर्ष- एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य एवं सुरक्षा कार्य।
 - (ग) तृतीय वर्ष - एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य, घेरान मरम्मत एवं सुरक्षा कार्य।
- 3.3 दो पौधों के बीच दूरी-निजी भूमि पर काष्ठ प्रजाति के रोपण हेतु 30cm x 30cm x 30cm साईज के गढढे खोदे जायेंगे तथा दो गढढे के बीच 3m x 3m तथा मेड़ पर 2m x 2m की दूरी रखी जायेगी। फलदार पौधे के लिए 60cm x 60cm x 60cm साईज के गढढे खोदे जायेंगे एवं 5m x 5m रखी जायेगी। एक एकड़ में काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे, फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा सकेगा। मेड़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य माना जायेगा। मेड़ पर फलदार पौधे नहीं लगाये जायेंगे।

3.4 वृक्षारोपण हेतु निर्धारित प्रजातियाँ—इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण अपनी निजी भूमि पर काष्ठ प्रजातियों यथा शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल यूकलिप्टस, एकासिया एवं फलदार प्रजातियाँ यथा कलमी आम, कटहल, अमरुद, आवंला, बेल एवं लीची का वनरोपण कर सकेंगे। कालान्तर में यदि इन प्रजातियों से अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण किया जाता है तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के अनुमति से अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा सकेगा।

3.5 वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता विभागीय पौधशाला एवं उसमें उपलब्ध पौधों की पूर्ण सूची विभागीय वेबसाइट forest.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। लाभुकों को विभागीय पौधशाला में उपलब्ध पौधों की आपूर्ति की जा सकेगी अथवा लाभुक पौधों की आपूर्ति अन्य स्रोतों से भी कर सकेंगे। फलदार पौधे एवं कलमी फलदार पौधे भारत सरकार के संस्थान HARP PALANDU, राज्य सरकार की पौधशालाओं से सरकार/संस्थान द्वारा निर्धारित विक्रय दर पर भी क्रय किये जा सकते हैं।

3.6 वृक्षारोपण किये गए पौधों की सुरक्षा का दायित्व लाभुक का होगा।

3.7 इस योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक लाभुक के लिए 0.5 एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

4. लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि

4.1. इस योजना हेतु स्वीकृत वनरोपण दर के अनुरूप लागत राशि का 75 प्रतिशत अंश लाभुक को प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा।

4.2. विभाग द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण दर के अनुसार प्रति एकड़ फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु निम्न व्यय होगा :-

क्र०	वृक्षारोपण	वर्षवार प्रस्तावित व्यय (राशि रु० में)			कुल
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1	फलदार प्रजाति	36546.84	3457.56	5896.46	45900.86
2	काष्ठ प्रजाति	29659.14	6386.79	8904.99	44950.92

4.3. उपरोक्त व्यय के आंकड़े के आधार पर

(क) अगर लाभुक द्वारा स्वयं पौधे की व्यवस्था की जाती है तो लाभुक को निम्नवत् राशि देय होगी :-

योजना वर्ष	प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (रु० में)		किस्तों की संख्या			
	काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति	काष्ठ प्रजाति		फलदार प्रजाति	
			प्रथम किस्त की राशी	द्वितीय किस्त की राशी	प्रथम किस्त की राशी	द्वितीय किस्त की राशी
प्रथम वर्ष	44.00	151.00	36.00	8.00	118.00	33.00
द्वितीय वर्ष	10.00	14.00	10.00		14.00	
तृतीय वर्ष	13.00	24.00	13.00		24.00	
कुल राशि :-	67.00	189.00				

(ख) अगर पौधों की आपूर्ति वन विभाग द्वारा की जायेगी तो इस योजना के अधीन लाभुक को निम्नवत प्रोत्साहन राशि देय होगी :-

योजना वर्ष	प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (रु० में)	
	काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति
प्रथम वर्ष	31.00	111.00
द्वितीय वर्ष	10.00	14.00
तृतीय वर्ष	13.00	24.00
कुल राशि :-	54.00	149.00

4.4. विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा योजना हेतु प्रतिवर्ष वनरोपण दर का निर्धारण किया जायेगा एवं तदनुसार लाभुक को देय प्रोत्साहन राशि का निर्धारण होगा।

5. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया

5.1 विभाग द्वारा समाचार पत्रों में केन्द्रीयकृत विज्ञापन प्रकाशित कराकर इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु लाभान्वितों से विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। लाभुक को आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) भूमि स्वामित्व एवं कब्जा के संबंध में अचलाधिकारी का प्रतिवेदन (अनुलग्नक-2)

(ii) अनुबंध पत्र (अनुलग्नक-3)

(iii) लाभुक के बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति जिसमें प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जानी है।

5.2 इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र (अनुलग्नक सं०-1) में अपने जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी (अनुलग्नक-4 में उल्लेखित) के कार्यालय में समाचार पत्रों में इस योजना हेतु विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त निर्धारित समयसीमा में आवेदन कर सकेगा। विज्ञापन प्रति वर्ष सितम्बर माह में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

5.3. एक से अधिक व्यक्ति मिलकर भी इस योजना के अन्तर्गत मेड़ के किनारे (रैखिक वृक्षारोपण) कार्य कर सकते हैं।

5.4. आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के अंतर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा विभागीय MIS application पर अपलोड किया जायगा। अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन अस्वीकार करते हुए सूचना आवेदक को दी जाएगी।

6. चयन की प्रक्रिया :

6.1 संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी कंडिका 5.1 में उल्लेखित कागजातों की जाँच करेंगे एवं लाभुकों का चयन कर सूची बनायेंगे।

6.2. विलोपित।

6.3. विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी निकाल कर लाभुकों का चयन किया जायेगा।

6.4. चयनित लाभुकों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक को सूचित किया जायेगा।

962

6.5. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रमंडलवार चयनित लाभुकों की सूची संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम को वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

6.6. विभाग द्वारा इस योजना को लाभुकों को पूर्ण विवरणी जिसमें वृक्षारोपण स्थल के जियो कोरडिनेट तथा फोटोग्राफ भी शामिल होंगे, जिलावार संधारित की जायेगी।

7. लाभुक को की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया

7.1. लाभुकों द्वारा निजी भूमि पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के लिये प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अनुलग्नक सं०-4 में वर्णित पदाधिकारी के कार्यालय में माह जून में संशोधित प्रपत्र 5(क) में दावा किया जाएगा।

7.2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक के प्रथम वर्ष में दावे का सत्यापन कर किए गए कार्यों यथा स्थल की सफाई, गड्ढा खोदना, घेराना करना, वृक्षारोपण हेतु पौधे की व्यवस्था करने के आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति माह जुलाई में दी जायेगी एवं सत्यापन के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित किया जायेगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु माह अप्रैल की उत्तरजीविता के आधार पर लाभुक द्वारा अप्रैल माह में संशोधित प्रपत्र 5(ख) में दावा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरजीविता सत्यापन कर उत्तरजीविता के अनुरूप द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रोत्साहन राशि हेतु भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा प्रोत्साहन राशि सीधे ही लाभुक के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

7.3. विलोपित।

7.4. प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन के उपरान्त भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान कर राशि सीधे संबंधित आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

8. वन विभाग के पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व :-

8.1. वन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना, लाभुको का चयन करना, माँगे जाने पर पौधे उपलब्ध कराना, आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करना, प्रोत्साहन राशि के दावों के सत्यापन पश्चात् नियमानुसार देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना तथा योजना की सफलता हेतु उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने तक सीमित होगा।


8.2. प्रत्येक वर्ष इस योजना के अन्तर्गत लाभुक व्यक्तियों की विवरणी (अनुलग्नक-6) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इस विवरणी को योजना की समाप्ति पर (अर्थात् तीसरे वर्ष) उपलब्ध पौधों के आधार पर update किया जाएगा।

9. योजना में लगाये गये वृक्षों का स्वामित्व - "जन-वन योजना" के तहत उगाये गये वृक्षों का पूर्ण स्वामित्व संबंधित लाभुक में निहित होगा। वृक्षों के पातन के समय संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर पातन की अनुमति एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभाग इस योजना में किये गये वृक्षारोपण का डाटाबेस संधारित करेगा।


14/5/2018

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल/विश्व खाद्य कार्यक्रम

विषय : मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन

मैं निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वृक्षारोपण करना चाहता हूँ/चाहती हूँ। मेरी भूमि के संबंध में तथा अन्य जानकारी निम्नानुसार है :-

(क) आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी

1. आवेदक का नाम -
2. आधार संख्या -
3. पिता/माता/पति का नाम-
4. आवेदक का मोबाईल/दूरभाष नं० एस०टी०डी० कोड सहित-
5. पत्र व्यवहार का पता-
6. जाति- सामान्य/अनु०जाति/अनु०जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

(ख) आवेदक की निजी भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, का विवरण

7. ग्राम-
8. राजस्व थाना एवं थाना नं०-
9. अंचल
10. जिला-
11. खाता नं०-
12. खेसरा नं०-
13. रकबा (एकड़ में)-

(ग) वृक्षारोपण हेतु जानकारी

14. रोपण का प्रकार- ब्लॉक वृक्षारोपण/खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण
15. ब्लॉक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे० में)/ खेत की मेड़ की लम्बाई (मीटर में)
16. रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजातिवार संख्या-

क्र०	काष्ठ प्रजाति	संख्या	फलदार प्रजाति	संख्या
1.				
2.				
कुल				

(घ) संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की सूची

17. भूमि स्वामित्व एवं कब्जा के संबंध में अचलाधिकारी का प्रतिवेदन
18. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि सम्भव हो)
19. अनुबंध पत्र
20. बैंक पासबुक की छायाप्रति
21. रद्द की हुई चेक

(ड.) बैंक खाता विवरण

22. बैंक का नाम :-
23. बैंक का पता :-
24. खाता संख्या :-
25. IFS code :-

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
तथा पूरा पता

अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन का प्रारूप

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

.....

.....

विषय :

प्रसंग :

आपका पत्रांक—

दिनांक—

महाशय,

आपके प्रासंगिक प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्न भूमि विवरण पर निम्नवत व्यक्ति के स्वामित्व में कब्जा है। अतः उन्हें इस जन-वन योजना के अन्तर्गत पौधे लगाने पर योजना के अनुरूप निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकता है :-

(1) भूमि का विवरण

जिला—

प्रखण्ड—

ग्राम—

खाता—

प्लॉट—

(2) स्वामित्व एवं कब्जा रखनेवाले व्यक्ति का नाम एवं पता जिसे भुगतान करना होगा।

(3) बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code —

अंचलाधिकारी

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु अनुबंध पत्र

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूँगा/करूँगी एवं वन विभाग के सभी निर्देशों का अनुपालन करूँगा/ करूँगी। यदि ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/ कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है, तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस योजना की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं इस योजना के अन्तर्गत रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा/करूँगी तथा परिपक्वता से पहले एवं वन विभाग की अनुमति के बिना इन वृक्षों को नहीं काटूँगा/काटूँगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

.....

प्राप्ति रसीद

श्रीमान/श्रीमती पिता/माता/पति

..

वन प्रमण्डल का नाम वन क्षेत्र का नाम प्रखण्ड का नाम
..... जिला का नाम पिन कोड -। "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया, जिसका क्रमांक..... है।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम

“मुख्यमंत्री जन वन योजना”

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना के कार्यान्वयन हेतु जिलावार वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की सूची

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम
i	ii	iii
1	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची
2	खूँटी	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी
3	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा
4	गुमला	
5	चाईबासा (प० सिंहभूम)	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा
6	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर
7	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार
8	गढ़वा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा
9	मेदिनीनगर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल
10	हजारीबाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग
11	रामगढ़	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़
12	चतरा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल
13	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा
14	देवघर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर
15	गोड्डा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा
16	दुमका	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका
17	जामताड़ा	
18	सरायकेला-खरसौवा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल
19	पाकुड़	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़
20	साहेबगंज	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज
21	बोकारो	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो
22	धनबाद	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद
23	लोहरदगा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा
24	गिरीडीह	गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना)

आवेदक द्वारा जीवित पौधों के प्रतिशत संबंधित स्वयं जारी घोषणा-पत्र

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सामाजिक वानिकी प्रमण्डल/ विश्व खाद्य कार्यक्रम

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती पिता/माता/पति
 ग्राम प्रखण्ड जिला का निवासी हूँ। मेरे द्वारा
 अपने स्वामित्व की भूमि, प्लॉट संख्या....., खाता नं०/खेसरा नं० (ग्राम.....
) क्षेत्रफल एकड़ में वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल सफाई..
 गड्ढे खोदे गये हैं,

.....फीट ट्रेंच घेरान किया गया है तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था कर ली
 गयी है। मैं.....माह में वृक्षारोपण तथा माह में कोड़नी, निकौनी एवं सुरक्षा का कार्य
 करूंगा/करंगी/करेंगी।

मैं शपथ देता हूँ कि दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। उक्त के आधार पर मुझे योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन
 राशि रु०..... की पात्रता बनती है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि मेरे बैंक खात संख्या..... बैंक का नाम एवं
 पता बैंक का I.F.S.C. कोड में भुगतान करने की कृपा करें। इस
 खाता से संबंधित पासबुक की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदन का हस्ताक्षर
 (पूरा नाम)

तिथि

सत्यापन

निरीक्षण दिनांक को..... (गड्डा की संख्या..... घेरान कार्य लम्बाई
 में की गयी है। जिसके अनुसार प्रोत्साहन राशि रु० बनती है। प्रोत्साहन राशि रु०.....
 आवेदक के बैंक खाता क्रमांक..... बैंक का नाम एवं पता.....
 बैंक का I.F.S.C. कोड..... में भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता पदाधिकारी का
 नाम एवं पदनाम
 (दिनांक सहित)

प्रपत्र

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना)
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम

प्रमाणित किया जाता है कि प्रादेशिक प्रमण्डल..... संस्था का नाम मैं श्री/श्रीमती
.....विभाग / पिता/माता/पति ग्राम प्रखण्ड
.....जिला का निवासी हूँ। मेरे स्वामित्व की भूमि, खाता नं०/खेसरा नं० ...
..... (ग्राम) क्षेत्रफल एकड़ में
... (पौधों की संख्या) पौधों का ब्लॉक/मेड़ पर वृक्षारोपण वर्ष..... में मेरे संस्था
द्वारा कराया गया है। अप्रैल की गिनती के अनुसार वृक्षारोपण स्थल पर
...(पौधों की संख्या) जीवित है।

मैं शपथ देता हूँ संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। उक्त के आधार पर
मुझेयोजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि रु०..... की पात्रता बनती है।

आवेदन का हस्ताक्षर
(पूरा नाम)
दिनांक

सत्यापन

निरीक्षण दिनांक को (पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं।
पौधों की औसतन उँचाई फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत है।

प्रोत्साहन राशि रु० आवेदक संस्था के बैंक खाता क्रमांक
बैंक का नाम एवं पता बैंक का I.F.S.C. कोड में भुगतान करने की
अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर
सत्यापनकर्ता पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम
(दिनांक सहित)

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
योजना का नाम - मुख्यमंत्री जन वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमण्डल का नाम :-

वित्तीय वर्ष-

जिला का नाम :-

क्र०	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम (टोला)	किसान का नाम एवं पिता का नाम	आवेदन संख्या	खेत का रबवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	पीछो की सं० काष्ठ फलदार	मोबाईल नं०	जाति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xii	xii
1											
2											
3											
4											
5											